न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 33/2023

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
रूकड़ीदेवी पुत्री स्व. रामुराम पत्नी पोकरराम, जाति विश्नोई निवासी विष्णु ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		1. हनुमानराम पुत्र स्व. रामुराम 2. लिछमणराम पुत्र स्व. रामुराम 3. सुरेश पुत्र चैनाराम 4. सुमन पुत्री चैनाराम 5. विमला पुत्री चैनाराम 6. दिनेश पुत्र चैनाराम 7. कमलादेवी पत्नी चैनाराम 8. सोमराज पुत्र डूंगराम 9. मागड़ी पत्नी डुगरराम सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण विष्णु की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा 11. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 10, 11– सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :–09/03/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा की सरहद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की विरासत में प्राप्त पैतृक सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि जामबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/4 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/4 रकबा 0.0647 हैक्टेयर तथा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 96 के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/1 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/1 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 109 के खसरा नम्बर 150/3 रकबा 1.1488 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0. 5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर स्थित है। उक्त खसरों की भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 9 के पिता/दादा श्री रामुराम के खातेदारी की थी। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की पैतृक

कृषि भूमि होने से वादी के पिता रामुराम तथा माता का देहान्त हो जाने से उक्त पैतृक कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा बनता है तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का व 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का एवं 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का बनता है। मगर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने वादी के हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने षडयंत्र रचकर वादी को धोखा देने की नियत से व वादी के हक हिस्से की भूमि को हड़पने व वादी को अपने अधिकारों से वंचित करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने वादी के पिता रामुराम फौत होने पर हल्का पटवारी से मिलीभगत करके एकमात्र वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का ही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया। जबकि वादी अभी जीवित है तथा वादी स्व. रामुराम की जायन्दा पुत्री है, जिसको छुपाकर रखा एवं वादी के हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 ने चुपके चुपके अपने नाम करवा दी है। वादी को उसके 1/5 हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम करवाकर बहिस्सा बराबर बराबर करवा ली है वादी एक वारिस होने के बावजूद भी वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन नही भरा गया एवं उसके 1/5 हिस्स की भूमि से वंचित कर रखा है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने अपने नाम करवाकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान करने की धमकी दे डाली है तथा गलत म्यूटेशन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने मिलकर वादी के 1/5 हक हिस्से की भूमि को अन्य को बैचान करने पर उतारू है। वादी अपने हक हिस्से की जमीन की जमाबन्दी की नकल लोन लेने हेतु आवश्यकता हुई तब जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उसमें पाया गया कि वादी का हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण ने अपने नाम से करवा ली है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित कृषि भूमि जामबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/4 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/4 रकबा 0.0647 हैक्टेयर तथा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 96 के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/1 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/1 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकवा 0 8090 हैक्टेयर, जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 109 के खसरा नम्बर 150/3 रकबा 1.1488 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर में कानूनी वारिसान को छुपाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम से भरे गये म्यूटेशन को निरस्त कर नये सिरे से म्यूटेशन भर कर वादी का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/5 हिस्सा की खातेदारी की डिक्री जारी की जाकर राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार म्यूटेशन भरा जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 10 को अलग से तहरीर जारी की जावे साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादी के 1/5 हिस्से की भूमि

में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे व न ही किसी अन्य से करावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 16.08.2022 के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 2 से 9 द्वारा अपीलाण्ट सुरेश वगैराह द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की, जिसके दर्ज नम्बर 150/2022 है, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2022 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2022 को खारिज किया व मामला इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि **वह मामले में अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत निर्णय एवं डिक्री पारित करें।** अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2022 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया, जिसके दर्ज नम्बर 33/2023 है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में पुनः प्रतिवादीगण को जरिय रजि. डाक सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नोटिस बाद ट्रेकिंग रिपोर्ट मय तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 6 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 से 9 को उपस्थित होने के सात से अधिक अवसर प्रदान किये गये किन्तु प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 से 9 की तरफ प्रतिवादी या उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही होने पर आदेशिका दिनांक 24.01.2024 को पुनः प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 से 9 को उपस्थित होने के लिए बार–बार आवाज दिलवाई गई फिर भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 6 को जवाब पेश करने हेतु बीस से अधिक बार अवसर प्रदान किए गये किन्तु प्रतिवादी सं. 6 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी सं. 6 के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया जिसके उपरान्त पुनः प्रतिवादी सं. 6 के नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल मय ट्रेकिग रिपोर्ट प्राप्त हुए जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादीया ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी खाता संख्या 109, प्रदर्श 2 जमाबन्दी खाता संख्या 96, प्रदर्श 3 जमाबन्दी खाता संख्या 4, प्रदर्श 4 नक्शा ट्रेस पेश किये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा में स्थित वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें स्व. रामूराम फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय वादीया का नाम दर्ज नही किया गया था। इसलिए वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.5 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/4 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/4

रकबा 0.0647 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 96 के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/1 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/1 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खाता संख्या 109 के खसरा नम्बर 150/3 रकबा 1.1488 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर में वादीया को 1/5 हिस्से का सयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की घोषित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे व न ही किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/03/21 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
रूकड़ीदेवी पुत्री स्व. रामुराम पत्नी पोकरराम, जाति विश्नोई निवासी विष्णु ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		1. हनुमानराम पुत्र स्व. रामुराम 2. लिछमणराम पुत्र स्व. रामुराम 3. सुरेश पुत्र चैनाराम 4. सुमन पुत्री चैनाराम 5. विमला पुत्री चैनाराम 6. दिनेश पुत्र चैनाराम 7. कमलादेवी पत्नी चैनाराम 8. सोमराज पुत्र डूंगराम 9. मागडी पत्नी डुगरराम सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण विष्णु की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा 11. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 33/2023

निर्णय दिनांक :– 09/03/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सख्या 1 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खाता संख्या 114 के खसरा नम्बर 102/3 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/4 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/4 रकबा 0.0647 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 96 के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150/1 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/1 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खाता संख्या 109 के खसरा नम्बर 150/3 रकबा 1.1488 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74/2 रकबा 0.5259 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर में वादीया को 1/5 हिस्से का सयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की घोषित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे व न ही किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।.

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा